

प्रेषक,

डा0 हेमलता ढौंडियाल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
आई.सी.डी.एस.,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग देहरादून दिनांक: 22 फरवरी, 2012

विषय:- उत्तराखण्ड प्रादेशिक बाल विकास बोर्ड हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 2556/ बजट मांग- 1975/2011-12 दिनांक 31-1-2012 के संदर्भ में एवं शासनादेश संख्या 897/XVII(4)/2012/02(2)/11 दिनांक 18-4-2011, शासनादेश संख्या 1289/XVII(4)/2012/02(5)/11 दिनांक 25-5-2011 एवं शासनादेश संख्या 1978/XVII(4)/2012/02(5)/11 दिनांक 23-9-2011 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 में आई0सी0डी0एस0 उत्तराखण्ड की अनुदान संख्या- 15 के आयोजनागत पक्ष की 2235-02-102-13-00 प्रादेशिक बाल विकास बोर्ड की स्थापना (राज्य योजना) हेतु संलग्नक में उल्लिखित विवरणानुसार 04-यात्रा भत्ता मद में रू0 1,00,000/- तथा 16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवा मद में रू0 6,00,000/- अर्थात् कुल धनराशि रू0 7,00,000/- (रू0 सात लाख मात्र) की व्यय करने की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश दिनांक 18-4-2011 में निहित प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं।

2. धनराशि का आहरण/ व्यय यथाआवश्यकता मितव्ययिता को ध्यान में रखकर समस्त वित्तीय नियमों एवं संगत शासनादेशों के आलोक में, नियमानुसार ही किया जायेगा।

3. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या 15 के अन्तर्गत संलग्नक में उल्लिखित लेखाशीर्षक एवं मदों से वहन किया जायेगा।

4. उक्त स्वीकृति वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के अशा0 संख्या -403 (P)/XXVII(3)/2011-12 दिनांक 16-2-2012 द्वारा प्रदत्त सहमति के क्रम में निर्गत की जा रही है।

भवदीया

(डा0 हेमलता ढौंडियाल)
सचिव

संख्या: 488 (1)/XVII(4)/2012 तददिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री/मा0मंत्री जी उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. अध्यक्ष/सचिव, प्रादेशिक बाल विकास बोर्ड, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएँ, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त विभाग/नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
8. गार्ड फाइल।

आदेश में

(प्रदीप जोशी)

अनु सचिव


शासनादेश संख्या XVII(4)/2012/02(5)/11 दिनांक फरवरी, 2012 का संलग्नक

अनुदान संख्या - 15 आयोजनागत/मतदेय
लेखा शीर्षक : 2235.02.102.13.00
मुख्य शीर्षक : 2235 -सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण
उप मुख्य शीर्षक : 02 - समाज कल्याण
लघु शीर्षक : 102 -बाल कल्याण
उपशीर्षक : 13 -प्रादेशिक बाल विकास बोर्ड की स्थापना (राज्य योजना)
ब्यौरेवार शीर्षक : 00 -

(धनराशि हजार रू0 में)

मद संख्या	मद का नाम	वित्तीय वर्ष 2011.12 का बजट प्राविधान	स्वीकृत की जा रही धनराशि
04	यात्रा व्यय	200	100
16	व्यावसायिक एवे विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	1200	600
	कुल योग :-	1400	700

(रू0 सात लाख मात्र)


(प्रदीप जोशी)
अनु सचिव